



# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

## Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/सम्बद्धता/19/2020

दिनांक: 16 जुलाई, 2020

### सम्बद्धता आदेश

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक: 16 जुलाई, 2020 के अनुपालन में श्रीमती फुलहेरा स्मारक महिला पी0जी0 कालेज में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी एवं शिक्षाशास्त्र विषय स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तरण प्रदान किया जाता है:-

1. महाविद्यालय द्वारा संबद्धता पत्र दिनांक: 30 मई, 2017 में अंकित कमियों की पूर्ति किये जाने का प्रमाण उपलब्ध न कराने के कारण रु0 30,000/- (तीस हजार मात्र) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। इसे पंद्रह दिवस में विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालय अग्निशमन विभाग का अध्यावधिक प्रमाण पत्र, प्राभूत राशि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के नाम, महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का गत तीन वर्ष का परीक्षाफल एक माह में उपलब्ध कराना होगा तथा महाविद्यालय में अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों का डाटा विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।
3. महाविद्यालय/संस्था की बैलेन्स शीट प्रत्येक वर्ष में जुलाई के प्रथम सप्ताह में तथा इस वर्ष दिनांक: 16 अगस्त, 2020 तक विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. प्रत्येक महाविद्यालय अपने निकटवर्ती एक गांव को गोद (एडाप्ट) लेगा तथा उसके विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
5. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकगण/शिक्षणेत्तर कर्मियों का सी0पी0एफ0/ई0पी0एफ0 खाता खुलवाकर निर्धारित मात्रा में अंशदान कराना सुनिश्चित करें।
6. उक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता के औपचारिक आदेश निर्गत किये जायेंगे, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक: 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेश का पालन करेंगी।
8. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पता:-शहीदस्मारक, निकटसुरहाताल, जिला-बलिया, उ0प्र0पिनकोड:-277001

Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001

Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com



# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

## Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

11. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
12. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
13. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमवाली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
14. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक: 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
15. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(महेश कुमार)

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मा0 कुलपति जी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
- ✓ 3. प्रबन्धक, श्रीमती फुलहेरा स्मारक महिला पी0जी0 कालेज, बलिया।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)